न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 51/2010

वादीगण –

1. रामनिवास पुत्र देवकरण
2. मड़ाराम पुत्र देवकरण
   माता–रामी जातियान–भांबी, निवासीगण–खेरवाड़, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सुखराम पुत्र देवकरण माता–रामी
   जाति–भांबी, निवासी–खेरवाड़ तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल।
3. तहसीलदार नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काष्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्रसिंह अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2, 3 के विरूद्ध एक पक्षीय।

निर्णय दिनांक : 27/07/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनके बडेर के खेत मौजा–खेरवाड़ तहसील–जायल में खसरा नं. 162 रकबा 11.12 बीघा, जो कि रामीदेवी के नाम खातेदारी में दर्ज है, जो फौत हो चुकी है। इसके अलावा ग्राम इनाणा में खेत खसरा नं. 1139/1972 रकबा 10.08 बीघा है उक्त खेतायों में पक्षकारान में 1/3–1/3 हिस्सा निहित है, जिसमें सुविधानुसार कब्जा काश्त है, परन्तु अब संयुक्त खातेदारी निभ नहीं सकने से खातेदारी अलग–2 करवाने हेतु दावा घोषणा खातेदारी व बंटवारा खेताय पेश किया गया है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने माफिक वाद पत्र बटवारा पैरा संख्या 2 (क से ग) कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर

27/07/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री जीयाराम गोदारा ने दिनांक वकालात नामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त हुये जो शामिल पत्रावली है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 परफोर्मा पक्षकार हैं। जिनको प्रकरण में जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया जाने पर तारीख पेशी 26.08.2013 को गैर हाजिर रहने पर आवाजे लगाने के उपरान्त भी न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 30.05.2012 को वादपत्र का जवाब पेश प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वकील वादीगण को उपलब्ध कराई गई।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र के पैराज को आंशिक स्वीकार करते हुये अपने जवाब में बताया कि वादग्रस्त खेतायों का बंटवारा सम्वत् 2055 में नही होकर सम्वत् 2067 में हुआ जिसमें मौजा इनाणा के खसरा नं. 1139/1972 रका 10.08 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 सुखराम के कब्जा काश्त बंट एवं खातेदारी रखा गया है इस खेत में प्रतिवादी नं. 1 की ढाणी रहवासी है तथ अभी खेत में प्रतिवादी संख्या 1 की जीरे की फसल हैं। मौजा खेरवाड़ के खसरा नं. 162 रकबा 11.12 सामलाती कमाई से खरीद किया हुआ है, जिसकी बैचाननामा दस्तावेज वादीगण की औरतो क्रमश : छोटीदेवी व राजूदेवी के नाम से करवाया था क्योंकि महिला के नाम खरीदने से स्टाम्प शुल्क कम लगते है। मौजा इनाणा तहसील–नागौर के खेत खसरा नं. 1139/1972 रकबा 10.08 बीघा प्रतिवादी नं. 1 के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता प्रतीत होने से तनकीयात् कायमी हेतु तारीख पेशी नियत की गई तथा दिनांक 16.09.2013 को विवाद्यक बिन्दू (तनकी) निम्न प्रकार कायम की गई।

1. आया– मौजा खेरवाड़ के खेत खसरा नं. 162 रकबा 8.08 बीघा भाग की खातेदारी वादी संख्या 2 पाने का मुस्तहक है (जिम्मे वादी)
2. आया– मौजा खेरवाड़ के खसरा नं. 162 रकबा 11.12 बीघा में से 3.04 बीघा पश्चिमी हिस्सा व ग्राम ईनाणा के खेत खसरा नं. 1139/1972 रकबा 10.08 बीघा में से 5.03 बीघा पश्चिमी हिस्सा की खातेदारी वादी संख्या 1 पाने का अधिकारी (जिम्मेवादी संख्या 1)
3. आया– वादीगण मौजा खेरवाड़ एवं इनाणा में अवस्थित खेताय वादीगण की पुश्तैनी भूमि होने से वह माफिक वाद 1/3–1/3 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का मुस्तहक है (जिम्मेवादीगण)

सहायक कलेक्टर
(उप.मं.अ.) जायल

Scanned with CamScanner

4. आया– मौजा ईनाणा के खेत खसरा नं. 1139/1972 रकबा 10.08 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 कब्जा कारित होने से वह खेत की खातेदारी पाने का मुस्तक है (जिम्मे प्रतिवादी सं. 1)
5. आया– मौजा खेरवाड़ में एक खेत रकबा 6 बीघा वादीगण की औरतो के नाम शामलाती कमाई से खरीद कर रजिस्टर्ड खरीद किया हुआ है (जिम्मेप्रतिवादी)

वाद के साक्ष्य वादी में विचाराधीन रहते एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का दिनांक 10.02.2014 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने छोटीदेवी व राजूदेवी को पक्षकार बनाये जाने के संबंध में पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दिलाई गई। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब वकील अप्रार्थी ने तत्समय ही प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकुलाय की सहमति व निवेदन पर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। तथा प्रार्थना पत्र का निर्णय (अस्वीकार) दिनांक 06.06.2014 किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह रामनिवास के पेश किया गया, परन्तु कोई सबूत, दस्तावेज इत्यादि प्रदर्श नहीं कराये। इसी प्रकार वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्यवादी पर जिरह नहीं करने के निवेदन साक्ष्य प्रतिवादी जिरह अवसर बन्द दिनांक 18.01.2017 को बंद किय गया। वकील प्रतिवादी को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 06.02.2017 से 28.02.2020 तक अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर दिनांक 28.02.2020 को बंद किया गया। प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में अंकित अभिकथन एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादपत्र के संबंध में प्रसतुत जवाब अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकीवार विचारण, विवेचन एवं विनिश्चिय निम्न प्रकार से है :–

1. आया– मौजा खेरवाड़ के खेत खसरा नं. 162 रकबा 8.08 बीघा भाग की खातेदारी वादी संख्या 2 पाने का मुस्तहक है (जिम्मे वादी)

इस तनकी को साबित करने का भार वादी संख्या 2 पर है। वादी ने वादपत्र में अंकित किया है कि वादग्रस्त खेताय खसरा नं. 162 रकबा 11.12 बीघा की भूमि पुश्तैनी बढेर की होने के कारण पक्षकारान में (वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1) पारिवारिक बंटवारा सम्वत् 2055 में होने पर उक्त खेताय में से 8.08 बीघा (पूर्वी–भाग) की भूमि वादी संख्या 2 मंडाराम के हक बंट, कब्जा काश्त की रखी गई, परन्तु ना तो वकील वादी द्वारा साक्ष्य वादी मे प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र पर कोइ सबूत/दस्तावेज प्रदर्श कराये तथा ना ही खसरा नं. 162 रकबा 8.08 बीघा के कब्जे काश्त होने संबंधी दस्तावेज प्रदर्श कराये। इसी प्रकार उक्त

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

तनकीयात के बिन्दू को प्रतिवादी पक्ष भी अपने पक्ष में साबित कर पाने में असमर्थ रहे। इसलिए यह तनकी अनिर्णित रही।

2. आया– मौजा खेरवाड़ के खसरा नं. 162 रकबा 11.12 बीघा में से 3.04 बीघा पश्चिमी हिस्सा व ग्राम ईनाणा के खेत खसरा नं. 1139/1972 रकबा 10.08 बीघा में से 5.03 बीघा पश्चिमी हिस्सा की खातेदारी वादी संख्या 1 पाने का अधिकारी (जिम्मेवादी संख्या 1)

इस तनकीयात् के बिन्दू को साबित करने की जिम्मेवारी वादी संख्या 1 की थी, परन्तु वादी संख्या 1 द्वारा ना ग्राम खेरवाड़ तहसील जायल के खसरा नं. 162रकबा 11.12 बीघा में से 3.04 बीघा के पश्चिमी हिस्से एवं ग्राम ईनाणा तहसील जायल के खसरा नं. 1139/1972 रकबा 10.08 बीघा में से 5.03 बीघा पश्चिमी हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श कराये। इसी प्रकार प्रकरण में वर्णित खसरान की भूमि दो अलग–2 तहसील क्षेत्र अर्थात खसरा नं. 162 की भूमि ग्राम खेरवाड़ तहसील जायल एवं खसरा नं. 1139/1972 की भूमि ग्राम–इनाणा तहसील–मुण्डवा(नागौर) में स्थित है। इसी प्रकार प्रतिवादी पक्ष द्वारा भी उक्त तनकीयात के बिन्दू में वर्णित भूमि के कब्जे काश्त के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिरक्षण करते हुये साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये जिसके अभाव में जिससे यह तनकी भी अनिर्णित रही।

3. आया– वादीगण मौजा खेरवाड़ एवं इनाणा में अवस्थित खेताय वादीगण की पुश्तैनी भूमि होने से वह माफिक वाद 1/3–1/3 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का मुस्तहक है (जिम्मेवादीगण)

इस तनकीयात् के बिन्दू को साबित करने की जिम्मेवारी वादीगण की थी, विवादग्रस्त खसरान की भूमि के कब्जे काश्त के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराये। इसी प्रकार प्रकरण में वर्णित खसरान की भूमि दो अलग–2 तहसील क्षेत्र अर्थात खसरा नं. 162 की भूमि ग्राम खेरवाड़ तहसील जायल एवं खसरा नं. 1139/1972 की भूमि ग्राम–इनाणा तहसील–मुण्डवा(नागौर) में स्थित है। ग्राम ईनाणा की कृषि भूमि संबधी प्रकरणो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसील नागौर है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि अलग अलग तहसील क्षेत्र की होने से विवादग्रस्त भूमि में पक्षकारान 1/3 – 1/3 हिस्सा सम्पुष्ट करने में असफल रहे है, जिससे यह तनकी भी अनिर्णित रही।

4. आया– मौजा ईनाणा के खेत खसरा नं. 1139/1972 रकबा 10.08 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 कब्जा कारित होने से वह खेत की खातेदारी पाने का मुस्तक है (जिम्मे प्रतिवादी सं. 1)

इस तनकीयात के बिन्दू में वर्णित खसरा नं. 1139/1972 की भूमि ग्राम ईनाणा की कृषि भूमि होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर नागौर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि तहसील क्षेत्र की होने से जिससे यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध के तय की जाती है।

5. आया– मौजा खेरवाड़ में एक खेत रकबा 6 बीघा वादीगण की औरतो के नाम शामलाती कमाई से खरीद कर रजिस्टर्ड खरीद किया हुआ है (जिम्मेप्रतिवादी)

इस तनकीयात के बिन्दू को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी पक्ष पर था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा ना तो कोई साक्ष्य दस्तावेत प्रदर्श कराये, जिससे यह स्पष्ट हो की ग्राम खेरवाड तहसील जायल की 6 बीघा भूमि सामलाती कमाई से खरीद की हुई है तथा ना ही वादी पक्ष द्वारा इस तनकी के बिन्दू के खण्डन के संबंध में कोई साक्ष्य, गवाह कराये गये है। इस प्रकार उक्त तनकी के बिन्दू भी अनिर्णित रही।

उपरोक्त वर्णित तनकीयात के बिन्दूओं पर मनन एवं विवेचन से वादी द्वारा धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत वादग्रस्त खेतायों की भूमि अलग–2 तहसील क्षेत्राधिकार की होने (खसरा नं. 162 की भूमि ग्राम खेरवाड़ तहसील जायल एवं खसरा नं. 1139/1972, 1132/1973 की भूमि ग्राम ईनाणा तहसील क्षेत्र नागौर) तथा वादी पक्ष द्वारा विवादग्रस्त खसरा के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य वादी के दौरान किसी भी प्रकार दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराये जाने के अभाव सम्पुष्ट कराने में वादी पक्ष असफल रहे है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य दस्तावेजात के अभाव एवं विवादग्रस्त खसरान की भूमि खसरा नं. 1139/1972, 1132/1973 की भूमि ग्राम ईनाणा जो कि तहसील क्षेत्र नागौर के अधीन होने से न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर का होने से नवीन सिरे से सुनवाई के लिए आवंटित क्षेत्राधिकार के अनुसार पेश करने के लिए पक्षकारान को स्वतंत्र रखते खारिज योग्य किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने तथा वादग्रस्त खेताय की भूमि खसरा नं. 1139/1972 ग्राम ईनाणा तहसील क्षेत्र नागौर के क्षेत्राधिकार की होने से सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/07/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner